FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

बोदूराम बनाम भूमिधारी

मुकदमा नं० 73 सन् 2020

मुकदमा दावा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
07/2020	वादी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता ली गयी। वाद पत्र दर्ज रजि० किया जावे। प्रतिवादीगण को आईंदा समन तलब किया जावे मिसल आईंदा दिनांक 25/08/2020 को पेश हो।	
	30-09-2020 वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मिसल तलबी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली कोविड-19 संक्रमण के चलते पूर्व से नियत इकजाई पेशी दिनांक 10-12-2020 से तलब की जाकर आज पेश हुई। प्रतिवादी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लौटी है। प्रतिवादी की ओर से, प्रकरण में कई बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी, कोई हाजिर अदालत नही आया। अत: प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस वकील वादी	उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध मुजान्व रेकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादी विवादित आराजी ख०नं० 221 तन ग्राम सेवली पटवार हल्का पनिहारवास का जरिए रजिस्टर्ड विक्रय लेख क्रेता है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय लेख के नामान्तरकरण सं० 90 में वादी का नाम "बोदूराम पुत्र मूलाराम" दर्ज है किन्तु बाद की जमाबन्दियों में वादी की वल्दियत "मूलाराम" के स्थान पर "मुन्नाराम" एवं "मानाराम" दर्ज हो गई जो दुरूस्तनीय है। ~~साथी~~ साथ ही वादी के पहचान के दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में भी वादी की वल्दियत "मूलाराम" ही दर्ज है। अत: उक्त तथ्यों के मद्देनजर वाद, वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि:- **आदेश** तन ग्राम सेवली, पटवार हलका पनिहारवास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 221 में वादी का नाम "बोदूराम पुत्र मानाराम" के स्थान पर "बोदूराम पुत्र मूलाराम" दुरूस्त किया जाता है अर्थात-

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
वादी बोदूराम के पिता का नाम "मानाराम" के स्थान पर "मूलाराम" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो तथा तद्नुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील फैसल रेकार्ड में शामिल हो। यह निर्णय आज दिनांक 30-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयी मुद्रा सहित जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 30/9/2020 (राकेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी RAS खण्डेला (सीकर) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाइ

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

मुकाम खण्डेला

उपखण्ड अधिकारी

श्री राकेश कुमार RAS

बोदूराम पुत्र मूलाराम ✗ बनाम ① भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला

दावा बाबत दुरूस्ती राजस्व रेकार्ड

मुकदमा नं. 73 सन् 2020

मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार RAS

श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा एड० मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

ग्राम सेवली पटवार हलका पनिहारवास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि नं० 227 में वादी का नाम "बोदूराम पुत्र मालाराम" स्थान पर "बोदूराम पुत्र मूलाराम" दुरूस्त किया जाता ✗.

✗ बाबत ✗

✗ मुबलिग ✗ डिगरी ... आज की तारीख से

मुकद्दमें के सद सूद बशरह ✗

दायगी तक ✗ का अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 09 सन 2020

गई।

दस्तखत (signature) 30/9/2020

(राकेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा खण्डेला (सीकर)

(Seal: उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) — सत्यमेव जयते)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
...र्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
...कालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
...जह सबूत			महन्ताना वकील		
... वकील			खर्चा गवाहान		
...वाहान			फीस कमिश्नर		
...मिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...जराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

...र्चा के कार्य पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे किसी ... जरिये दिलाया ... ही का नहीं, दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

X जाति गुर्जर निवासी खेवली ग्राम पंचायत पनिहारवास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)
— (वादी)

X है अर्थात् वादी बोदूराम के पिता का नाम "मानाराम" के स्थान पर "मूलाराम" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो।

5/09/2020

(राकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner